HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16342/2026
CNR: RJHC020989082026 | URN: CRLMB / 30206U / 2026

Balwant S/o Birbal, Kiara, Tehsi And Police Station Mundawar, District Khairthal-Tijara, Rajasthan. (At Present Lodged In Sub Jal, Kishangarh Bas, Alwar).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Ashvin Garg
For Respondent(s)	:	Mr. Shree Ram Dhakad, PP Mr. Dharmendra Gurjar

---

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

27/10/2026

प्रार्थना–पत्र 1/2026 पर सुना गया।

प्रार्थना–पत्र इस प्रक्रम पर स्वीकार कर कार्यालय द्वारा लगाया गया आक्षेप दूर किया जाता है एवं आरोप–पत्र की प्रति को अभिलेख पर लिया जाता है।

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना मुन्डावर, जिला खैरथल–तिजारा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 489/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 191(2), 191(3), 190, 103(1) भारतीय न्याय संहिता में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि दिनांक 16.10.2025 की घटना कारित करने वाले लगभग 21 लोगों के नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित हैं, परंतु इसमें प्रार्थी का नाम अंकित नहीं है। उनका तर्क है कि प्रकरण में तीन आहत/साक्षीगण रामधन, मानसिंह और परमजीत उर्फ अमन हैं। उनका तर्क है कि

उक्त तीनों ही साक्षीगण ने अपने कथन धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रार्थी का नाम घटना कारित करने वालों में नहीं लिया है, जबकि 16–17 अन्य लोगों के नाम बताए हैं। उनका तर्क है कि घटना के दो माह बाद दिनांक 16.12.2025 को अभिलिखित गवाहों के कथनों के आधार पर प्रार्थी–अभियुक्त को मिथ्या रूप से संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी के ऊपर मृतक को कोई विशिष्ट चोट कारित करने का आक्षेप नहीं है। उनका तर्क है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर पांच चोटें आना बताई गई हैं और यह चोटें कारित करने का आक्षेप लगभग 21 लोगों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाया गया है। उनका यह भी तर्क है कि सहअभियुक्त जयमल को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा दिनांक 22.04.2026 को जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। उनका तर्क है कि प्रार्थी का मामला उक्त सहअभियुक्त से भिन्न नहीं है। प्रकरण में आरोप–पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रार्थी दिनांक 11.05.2026 से अभिरक्षा में है। उसके विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत परिवादी के विद्वान अधिवक्ता व योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि दिनांक 16.10.2025 की घटना कारित करने वालों में प्रार्थी भी शामिल था। उनका तर्क है कि परिवादी और अन्य आहत/साक्षीगण के बयानों में प्रार्थी का नाम पुलिस ने अपनी मर्जी से नहीं लिखा है। उनका तर्क है कि अभी विचारण न्यायालय में साक्षीगण के कथन लेखबद्ध नहीं हुए हैं। उनका तर्क है कि प्रार्थी ने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर पूर्व नियोजित रूप से घेरकर श्री जयराम की हत्या कारित की है, क्योंकि घटना से एक दिन पूर्व भी उनके मध्य आपस में झगड़ा हुआ था। उनका तर्क है कि प्रार्थी के आधिपत्य से घटना में प्रयुक्त डंडा बरामद भी हुआ है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी का मामला सहअभियुक्त जयमल से भिन्न है, क्योंकि उसकी उम्र 70 वर्ष है, जबकि प्रार्थी की उम्र 40 वर्ष ही है। उनका तर्क है कि प्रकरण धारा धारा 115(2), 126(2), 191(2), 191(3), 190, 103(1) भारतीय न्याय संहिता के अपराध से संबंधित है। उनका तर्क है कि प्रकरण में प्रार्थी के विरुद्ध भी धारा 115(2), 126(2), 191(2), 191(3), 190, 103(1) भारतीय न्याय संहिता में प्रसंज्ञान लिया जा चुका है। प्रार्थी के विरुद्ध गंभीर अपराध का अभियोग है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध धारा 115(2), 126(2), 191(2), 191(3), 190, 103(1) भारतीय न्याय संहिता के गम्भीर अपराधों का अभियोग है। प्रार्थी–अभियुक्त पर आक्षेप है कि उसने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर जयराम की हत्या कारित की है। यह सही है कि प्रकरण में परीक्षित हुए गवाह/साक्षीगण रामधन, मानसिंह और परमजीत उर्फ अमन द्वारा प्रार्थी का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन अन्य स्वतंत्र साक्षीगण विरेन्द्र और ओमप्रकाश ने अपने धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथनों में घटना कारित करने वालों में प्रार्थी का नाम लिया गया है। प्रकरण में प्रार्थी के विरुद्ध धारा 115(2), 126(2), 191(2), 191(3), 190, 103(1) भारतीय न्याय संहिता में प्रसंज्ञान लिया जा चुका है। प्रकरण में हुए अनुसंधान से प्रार्थी के आधिपत्य से घटना में प्रयुक्त लाठी–डंडे बरामद हुए हैं, जिनसे मारपीट किया जाना बताया गया है। प्रकरण में संलिप्त सभी अभियुक्तगण पर संयुक्त रूप से मारपीट करने के समान आक्षेप हैं। प्रकरण में सलिप्त अन्य सहअभियुक्त जयमल को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है, जिसकी उम्र 70 वर्ष है, जबकि प्रार्थी की उम्र 40 वर्ष है और इस प्रकार उसका मामला उक्त सहअभियुक्त से भिन्न है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी दर्शित है कि घटना से एक दिन पूर्व हुई घटना, इस घटना का कारण बनी है, उसमें भी प्रार्थी की भूमिका होना बताया गया है। अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रा. र्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

108/NIMIT GOYAL